

अध्याय-1

प्रस्तावना

1. भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् का संगठन एवं कार्य क्षेत्र भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् का सृजन वानिकी अनुसंधान को प्रतिपादित, संगठित निदेशित तथा संचालित करने; राज्यों तथा अन्य उपयोगकर्ता एजेन्सियों को विकसित की गई प्रौद्योगिकियों के हस्तान्तरण तथा वानिकी शिक्षा प्रदान करने के लिए किया गया है।

परिषद् के उद्देश्य है :-

- (क) वानिकी शिक्षा, अनुसंधान और इसके अनुप्रयोग के लिए सहायता तथा प्रोत्साहन देना और समन्वयन करना।
- (ख) वानिकी तथा अन्य सम्बद्ध विज्ञानों के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र को विकसित करना और उसका रखरखाव करना।
- (ग) वनों और वन्य प्राणियों से सम्बन्धित सामान्य सूचना और अनुसंधान के लिए एक वितरण-केन्द्र के रूप में कार्य करना।
- (घ) वन विस्तार कार्यक्रमों को विकसित करना तथा उन्हें जन संचार, श्रव्य-दृश्य माध्यमों और विस्तार मशीनरी द्वारा प्रसारित करना।
- (ङ) वानिकी अनुसंधान, शिक्षा एवं प्रशिक्षण तथा अन्य संबद्ध विज्ञानों के क्षेत्र में परामर्शी सेवाएं प्रदान करना।
- (च) उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य आवश्यक कार्य करना।

राष्ट्र के विभिन्न जैव-भौगोलिक क्षेत्रों की अनुसंधान आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए देश के अलग-अलग भागों में परिषद् के आठ अनुसंधान संस्थान और तीन उन्नत केन्द्र हैं। ये देहरादून, शिमला, इलाहाबाद, रांची, जोरहाट, जबलपुर, छिदवाड़ा, जोधपुर, हैदराबाद, बंगलौर और कोयम्बटूर में स्थित हैं। इन केन्द्रों के कार्यकलापों का वर्णन आगामी अध्यायों में किया गया है।

2. अनुसंधान सूत्रपात

वानिकी अनुसंधान में, आनुवंशिकी एवं वन संवर्धनिक सुधार, बंजर भूमि के उपचार, वन परितंत्रों के संरक्षण, काष्ठ विकल्पों, जनजातीय विकास एवं सामाजिक वानिकी द्वारा, उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया गया है।

संसाधन ढवावों को देखते हुए यथोचित प्राथमिकताओं का अनुमान लगाने के बाद एक राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान योजना (एन. एफ. आर. पी.) विकसित की जा रही है। प्राथमिकताएं तथा संसाधन आबंटन सुनिश्चित करने के लिए, अनुसंधान सलाहकार समितियां गठित की गई हैं जिसमें सभी राज्य वन विभागों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। संघ के विभिन्न राज्यों में सेमिनार/कार्यशालाएं करके क्षेत्रीय प्राथमिकताओं निर्धारित की जा रही हैं।

वनीकरण/पुनर्वनरोपण उद्देश्य के लिए उच्च गुणवत्ता रोपण स्टॉक की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार को, बीच उत्पादन क्षेत्रों, क्लोनीय बीजोद्यानों, पौध बीजोद्यानों तथा कायिक गुण उद्यानों की स्थापना के लिए, धन उपलब्ध कराया जा रहा है।

एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में जड़ ट्रेनर के साथ आधुनिक पौधशाला कार्यक्रम क्रियान्वित किया गया। यह नर्सरी स्टॉक के उत्पादन तथा क्षेत्र में इनकी स्थापना व वृद्धि में क्रान्तिकारी परिवर्तन ला देगा।

यदि राज्य भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् के अनुसंधान कार्यक्रमों में सक्रियता एवं उत्पादपूर्वक भागीदारी करे तो वे अत्यधिक लाभान्वित हो सकते हैं तथा उपलब्ध अनुसंधान सुविधाओं का स्वयं उपयोग कर सकते हैं। यह सुविधाएँ बिना अधिक निवेश किए वहन योग्य लागत पर परिषद् के विभिन्न संस्थानों में उपलब्ध हैं। इनमें परिषद् द्वारा स्थापित अत्यन्त परिष्कृत उन उपकरणों का उपयोग भी शामिल है, जिन्हें स्थापित करने में राज्य असमर्थ है।

भा०वा०अ० एवं शि०प० द्वारा प्रायोजित अनुसंधान भी स्वीकार किया जाता है।

3. प्रौद्योगिकी का हस्तान्तरण (विस्तार कार्यक्रम)

राज्य सरकारों, वन आधारित उद्योगों, बेरोजगार युवकों तथा अन्य उपयोक्ता एजेन्सियों के लिए, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् द्वारा विकसित पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके, अपनी आय बढ़ाने के असाधारण अवसर उपलब्ध हैं। ये प्रौद्योगिकियां देश के वन संसाधनों एवं जैव विविधता संरक्षण में भी लम्बा रासता तय करेंगी।

वर्तमान में, 34 परीक्षित प्रौद्योगिकियां हस्तान्तरण हेतु उपलब्ध हैं। इन प्रौद्योगिकियों में से सात कृषि वानिकी/सामाजिक वानिकी के तहत गौण रोपण प्रजातियों के उपयोग, 3 उत्पादों में उपयोगिता परिवर्द्धन, 13 वन उत्पादकता सुधारने, 7 दुर्लभ उत्पादों के नए उत्पाद/प्रतिस्थापन और 4 पर्यावरणीय संरक्षण/सुधार से संबंधित हैं।

इसके अलावा, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् विस्तार सहायता निधि के अन्तर्गत इन प्रौद्योगिकियों पर आधारित परियोजनाओं में वित्त प्रबन्ध करके इन प्रौद्योगिकियों को अपनाने में, राज्यों की सहायता कर रही है। इन परियोजनाओं में प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन, उपयोगकर्ताओं के प्रशिक्षण तथा बेरोजगार युवकों के लिए ठेकेदारी का सृजन करना शामिल है।

इस समय राज्यों के पास व्यवहार्य विस्तार साधन उपलब्ध नहीं हैं। इनके लिए यह अनिवार्य है कि वे विस्तार अवसंरचना विकसित करने के लिए इस पहलू पर पर्याप्त ध्यान दें तथा अनुसंधान परिणामों के लाभ लोगों को उपलब्ध कराएं।

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत राष्ट्रीय वन पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र जानकारी का भण्डार है तथा इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क द्वारा राज्य वन विभागों, विश्वविद्यालयों आदि को सूचना उपलब्ध कराता है। प्रकाशन का ठीक पता लगाने के लिए पूर्ण संदर्भिका ब्योरो सहित वानिकी पर ग्रे साहित्यों को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है जिससे शीघ्र भण्डारण और पुनःप्राप्ति का काम सरल हो सके। भा०वा०अ० एवं शि०प० ने वेब साइट शुरू किया है तथा इसे <http://www.icfre.up.nic.in> पर विश्वभर में देखा जा सकता है तथा इसका व्यापक उपयोग हो रहा है।

4. वानिकी शिक्षा

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् वानिकी अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता उपलब्ध कराने तथा अनुसंधान की गति को तेज करने के लिए विभिन्न स्तरों पर वानिकी पाठ्यक्रमों का विकास तथा वानिकी शिक्षा प्रदान कर रही है।

राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के अनुरूप एक आदर्श पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का अध्ययन किया जा रहा है।

वानिकी शिक्षा प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों की अवसंरचना एवं तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए सहायक अनुदान किया जा रहा है चालू वर्ष के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों को 184 लाख रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई।

वन विदों/वैज्ञानिकों तथा अन्यो को, वानिकी क्षेत्र में, शैक्षिक प्रगति के लिए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वर्तमान में लगभग 300 व्यक्ति पीएच० डी० डिग्री के लिए व०अ०स० सम-विश्वविद्यालय में पंजीकृत हैं तथा वर्ष 1998-99 के दौरान 45 लोगों की अन्तिम रूप से पीएच. डी. डिग्री प्रदान की गई है। वरिष्ठ अध्येता, कनिष्ठ अध्येता और शोध सहायकों की संख्या क्रमशः 15, 125 और 28 है।

परिषद् “वानिकी” (अर्थशास्त्र एवं प्रबन्धन) तथा “काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी” में दो वर्ष की अवधि के दो स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रमों को संचालित कर रही है। इसके अलावा “कागज एवं लुगदी प्रौद्योगिकी” तथा “रोपण प्रौद्योगिकी” में एक साल की अवधि के दो स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं।

वन विदों/वैज्ञानिकों के लिए वानिकी के क्षेत्र में नवीनतम अनुसंधान विधियों में, अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों, यथा-विश्व बैंक, यू०एन०डी०पी०, एफ. ए. ओ., आई. डी. आर. सी. यू. एस. डी. ए. आदि के सहयोग से विदेश प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

अनुसंधान प्रबन्धन, मानव संसाधन विकास, कम्प्यूटर दक्षता तथा अनुसंधान कार्यपद्धति जैसे सामयिक विषयों में राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है।